कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– र–9ख(49)अ.शा./विधि/2015/3769-3829 दिनांक : 1.5.15

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि थाना स्तर पर होने वाले अनुसंधान का पर्यवेक्षण तो वृताधिकारी द्वारा कर लिया जाता हैं किन्तु वृताधिकारियों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगणों द्वारा किए गए अनुसंधान का प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं हो रहा है। यद्यपि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय में डाईजेस्ट रजिस्टर के माध्यम से एस.आर. प्रकरणों के अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था है किन्तु उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अतः वृताधिकारियों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगणों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान के पर्यवेक्षण हेतु निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. वृताधिकारियों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगणों द्वारा किए जा रहे एस.आर. प्रकरणों के अनुसंधान की प्रगति जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध सहायक द्वारा डाईजेस्ट रजिस्टर में नियमित रुप से डाईजेस्ट किया जावें एंव प्रत्येक प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट समय पर प्राप्त होवे यह सुनिश्चित किया जावें तथा पाक्षिक रुप से पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय ऐसे प्रकरणों के अनुसंधान की समीक्षा की जावे।
2. ऐसे प्रकरण जो एस.आर. प्रकृति के नहीं है और जिनका अनुसंधान वृताधिकारियों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगणों द्वारा किया जा रहा है, उनमें अनुसंधान वृताधिकारियों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगणों को स्थानान्तरित होते ही पूर्व अनुसंधान की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेषित की जावेगी, जिसके आधार पर डाईजेस्ट रजिस्टर में डाईजेस्ट किया जायेगा तथा इसके उपरान्त अनुसंधानकर्ता वृताधिकारियों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगणों द्वारा केस डायरी की एक अतिरिक्त प्रति नियमित रुप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेषित की जावेगी, जिसका डाईजेस्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया जावेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा पाक्षिक रुप से प्रगति रिपोर्ट मंगायी जावे एवं उनकी समीक्षा भी पुलिस अधीक्षक पाक्षिक रुप से स्वयं करें।
3. एस.आर. प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट महानिरीक्षक पुलिस रेंज कार्यालय में भी प्राप्त होती है। उक्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर वृताधिकारियों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगणों द्वारा किए गए अनुसंधानों का पर्यवेक्षण रेंज कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता द्वारा किया जावे एवं पाक्षिक रुप से एक चार्ट महानिरीक्षक पुलिस रेंज को प्रस्तुत किया जावे जिसके आधार पर महानिरीक्षक पुलिस रेंज ऐसे प्रकरणों की समीक्षा करें।

(पंकज कुमार सिंह)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा, राज. जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज राजस्थान मय जी.आर.पी. जयपुर।
3. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (प्रशासन एवं पीआरसी) सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर।